कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं.: स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-102/2017-18/

दिनांक : /01/2018

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी,
नगर पंचायत, कीर्तिनगर
जनपद- टिहरी गढ़वाल
उत्तराखण्ड

वषय: नगर पंचायत, कीर्तिनगर जनपद- टिहरी गढ़वाल का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे शून्य प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 04 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं**0** स्था**0**नि**0/**प्रतिवेदन संख्या 102**/2017-18/** दिनांक **:** **/**01**/201**8

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून
2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द्वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अर्जुन सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अंकित बंसल, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **04.08.2015** से **11.08.2015** तक संपादित की गयी थी जिसमें **2012-13** से **2014-15** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **05 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **2,517**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **04**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **08**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **02**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **09**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **21 दुकानें, 01 सामुदायिक भवन एवं 01 कार्यालय भवन |**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण										
										समस्त धनराशि (`) में
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	4594991	3122331	7396896	9797358	2076000	2090353	0	2194529	0	3107978
2015-16	2194529	3107978	7290463	7514320	5589618	4451895	0	1970672	0	4245701
2016-17	1970672	4245701	5607266	6257883	6024989	4838256	0	1320055	0	5432434
कुल योग			**20294625**	**23569561**	**13690607**	**11380504**				

भाग-I. 2(ii)(अ)						
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	584270	1143000	1727270	584270	1143000
2	राज्य वित्त आयोग	3962065	6581000	10543065	9083791	1459274
3	अवस्थापना विकास निधि	1451677	0	1451677	163854	1287823
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	दैवीय आपदा	450000	458000	908000	830845	77155
6	विधायक निधि	0	375000	375000	375000	0
7	चारधाम यात्रा मद	0	100000	100000	100000	0
8	बी.आर.जी.एफ.	636384	0	636384	36384	600000
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	0	0	0	0
10	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	632926	815896	1448822	713567	735255
	कुल योग	**7717322**	**9472896**	**17190218**	**11887711**	**5302507**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	1143000	1099000	2242000	1256000	986000
2	राज्य वित्त आयोग	1459274	6575000	8034274	6745062	1289212
3	अवस्थापना विकास निधि	1287823	4191000	5478823	2361539	3117284
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	80000	80000	0	80000
5	दैवीय आपदा	77155	0	77155	72249	4906
6	विधायक निधि	0	119618	119618	119618	0
7	चारधाम यात्रा मद	0	100000	100000	100000	0
8	बी.आर.जी.एफ.	600000	0	600000	542489	57511
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	0	0	0	0
10	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	735255	715463	1450718	769258	681460
	कुल योग	**5302507**	**12880081**	**18182588**	**11966215**	**6216373**
--						

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	986000	2015000	3001000	1959000	1042000
2	राज्य वित्त आयोग	1289212	4931000	6220212	5731404	488808
3	अवस्थापना विकास निधि	3117284	1800000	4917284	2614418	2302866
4	स्वच्छ भारत मिशन	80000	109989	189989	107327	82662
5	दैवीय आपदा	4906	0	4906	0	4906
6	विधायक निधि	0	0	0	0	0
7	चारधाम यात्रा मद	0	100000	100000	100000	0
8	बी.आर.जी.एफ.	57511	0	57511	57511	0
9	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	2000000	2000000	0	2000000
10	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	681460	676266	1357726	526479	831247
	कुल योग	**6216373**	**11632255**	**17848628**	**11096139**	**6752489**
--						
लेखाओं पर टिप्पणी:-						
(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है|						
(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है|						

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	584270	1143000	1727270	584270	1143000
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	1143000	1099000	2242000	1256000	986000
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	986000	2015000	3001000	1959000	1042000
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	80000	80000	0	80000
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	80000	109989	189989	107327	82662
2014-15	बी.आर.जी.एफ.	636384	0	636384	36384	600000
2015-16	बी.आर.जी.एफ.	600000	0	600000	542489	57511
2016-17	बी.आर.जी.एफ.	57511	0	57511	57511	0

भाग II-'ब'

प्रस्तर 01: इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `42,519/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | ”

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पंचायत कीर्तिनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल के चयनित निर्माण कार्यों की जाँच (दिसम्बर-2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | चयनित निर्माण कार्यों की जाँच में आगे पाया गया कि इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार **10** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`42,51,859/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`42,519/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में उक्त कार्यों पर 1% लेबर सेस नहीं काटा जा सका | इकाई ने आगे

बताया कि संलग्नक में लिखित निर्माण कार्यों के सापेक्ष `**42,519/-** की वसूली संबन्धित ठेकेदारों से करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग II-'ब'

प्रस्तर 02: गृहकर वसूली `78,560/- का लम्बित रहना |

गृहकर नगर पंचायत की आय का प्रमुख स्रोत होता है | 14वें वित्त आयोग द्वारा भी नगर पंचायतों द्वारा दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वयं की आय से संबन्धित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (No. 13(32)FFC/FCD/2015-16 dated 08th October, 2015-**दिशा-निर्देश संख्या 13**) के अनुसार नगर पंचायतों को दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर अपनी आय में वृद्धि दर्शानी होगी |

नगर पंचायत कीर्तिनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (दिसम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निम्नानुसार गृहकर की वसूली की गई:-

गृहकर वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	66375	73485	139860	48905 **(35%)**	90955
02.	2015-16	90955	73985	164940	70385 **(43%)**	94555
03.	2016-17	94555	76280	170835	92275 **(54%)**	78560

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर इकाई द्वारा गृहकर की बकाया धनराशि **`78,560/-** का वसूल किया जाना बाकी था |

इकाई द्वारा गृहकर के रूप में केवल **35** से **54** प्रतिशत की वसूली की जा रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है जबकि निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 760/श.वि.नि.-1213/अधि.नि.-2008/2014 दिनांकित 17 जुलाई 2014 के द्वारा भी सभी निकायों को यह निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाय |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण पूर्ण वसूली नहीं हो पा रही है | पूर्ण वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा माँग के सापेक्ष बहुत कम वसूली की जा रही है | इकाई द्वारा माँग के अनुरूप वसूली न किए जाने के कारण निकाय की आय में कमी आ रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है | निकाय की आय में कमी के कारण इकाई को आतिथि तक 14वें वित्त आयोग से दक्षता अनुदान भी प्राप्त नहीं हुआ है |

अतः गृहकर की बकाया वसूली **`78,560/-** के लम्बित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग II-'ब'

प्रस्तर 3: ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना |

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

नगर पंचायत कीर्तिनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल के ठोस अपशिष्ट से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा नगर पंचायत परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 05 कुंतल (2016-17) अपशिष्ट के सापेक्ष केवल 3.5 कुंतल का ही उठान किया जा रहा था | इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट का डोर-टू-डोर कलेक्शन नहीं किया जा रहा था और न ही वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण किया जा रहा था | ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु खुले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा था | इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के मानदंडों जैसे भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु भी नियमावली के मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था |

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट के पास बिन, वाहन एवं उपकरणों में आवश्यकता के सापेक्ष निम्नानुसार कमियाँ पाई गईं:-

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम		**आवश्यक्ता**	**उपलब्धता**	**कमी**
बिन (50 कि. ग्राम)		80	30	50
कूड़ा वाहन	महिंद्रा पिकअप	02	00	02
उपकरण	कोम्पेक्टर	01	00	01

इस प्रकार नगर पालिका द्वारा पालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा था तथा नगर पालिका के पास आवश्यकता के सापेक्ष बिन, वाहन एवं उपकरणों की उपलब्धता में भी कमी पाई गई |

इसे इंगित किए जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संशाधनों एवं कर्मचारियों की कमी तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का पूर्ण अनुपालन नहीं किया जा रहा है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु नियमावली में वर्णित मानदंडों का किसी भी स्तर पर अनुपालन नहीं किया जा रहा था |

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 4: चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के उपरांत त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 1253/IV(1)/01(21)/2011दिनांकित 08 दिसम्बर 2011 द्वारा उत्तराखंड राज्य के स्थानीय निकायों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में निर्देशित किया गया है जिसके अनुसार 01/01/2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड 1-एस (4440-7400) तथा ग्रेड वेतन 1300, 1400 एवं 1650 के स्थान पर वेतन बैंड -1 5200- 20200 व ग्रेड वेतन 1800 में उच्चीकरण काल्पनिक रूप से 01/01/2006 से एवं 24/03/2011 से वास्तविक लाभ/नगद भुगतान किया जाएगा।

नगर पंचायत कीर्तिनगर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में संदर्भित शासनादेश के अनुसार वेतन बैंड/ग्रेड वेतन उच्चीकरण के उपरांत त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किया गया था।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन निर्धारण तिथि	अनुमन्य वेतन	निर्धारित किया गया वेतन
1.	श्री रमेश चंद्र भट्ट	अनुसेवक	01/08/2007	5200.00	4750.00
2.	श्री चंद्र प्रकाश पंत	अनुसेवक	01/09/2007	5200.00	4750.00
3.	श्री कुँवर सिंह	पर्यावरण मत्र	01/01/2006	5200.00	4750.00
4.	श्री रवि पारस	पर्यावरण मत्र	01/01/2006	5200.00	4750.00
5.	श्री अजय पारस	पर्यावरण मत्र	01/01/2006	5200.00	4750.00

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण शासनादेश के अनुसार वेतन बैंड -1 (5200- 20200) व ग्रेड वेतन 1800 के विपरीत न्यूनतम वेतन 5200/- के स्थान पर 4750/- निर्धारित किया गया था एवं उसी के अनुसार आगामी वार्षिक वेतन वृद्धियों की गणना की गयी थी जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों को निरंतर कम वेतन दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया गया किउक्त कर्मचारियों का शासनादेश के अनुसार पुनः वेतन निर्धारण किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त शासनादेशों का समुचित पालन न किया जाना विभागीय शिथिलता को दर्शाता है जिससे कर्मचारियों को समुचित वेतन भत्तों से वंचित रहना पड़ा है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर, जनपद- टिहरी गढ़वाल** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2015-16** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **21 दिसम्बर 2017** से **26 दिसम्बर 2017** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-01/2015-16/1343 दिनांकित 30.10.2015	शून्य	प्रस्तर संख्या 01 से 03	प्रस्तर संख्या 01

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-01/2015-16/1343 दिनांकित 30.10.2015	**भाग 4 (ब) –II प्रस्तर संख्या 1:** भवन करों के रूप में `93,360/- की वसूली वर्ष 2014-15 तक लम्बित रहना		भवनकर की मार्च 2017 तक की अवशेष धनराशि की अद्यतन स्थिति लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दी गई है	अतः अद्यतन स्थिति के आधार पर उक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें		भवनकर की मार्च 2017 तक की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर उसे भाग-दो(ब) के प्रस्तर संख्या 02 में सम्मिलित कर प्रतिवेदित किया गया है		**भाग 4 (ब) –II प्रस्तर संख्या-01 को निस्तारित कर दिया गया हैं।**
	भाग 4 (ब) –II प्रस्तर संख्या 2: दुकान किराये के रूप में `46,590/- की वसूली लम्बित रहना		दुकान किराये की संदर्भित धनराशि की पूर्ण वसूली कर ली गई है	वसूली पंजिका एवं MAC 5 की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दी गई है	अतः उक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें		इकाई द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर दुकान किराये से संबन्धित उक्त धनराशि की पूर्ण वसूली की पुष्टि की जाती है		**भाग 4 (ब) –II प्रस्तर संख्या 02 को निस्तारित कर दिया गया हैं।**
	भाग 4 (ब) –II प्रस्तर संख्या 3: अवस्थापना विकास निधि द्वारा कराये गए दो	अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य की बची हुई अवशेष धनराशि `12,87,823/- को चालान के माध्यम से राजकोष में	इकाई द्वारा अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य की बची हुई अवशेष धनराशि `12,87,823/- को	**भाग 4 (ब) –II प्रस्तर संख्या 03 को निस्तारित कर दिया गया हैं।**

	मंज़िला कार पार्किंग के अन्तर्गत `12,87,823/- की अवरुद्ध धनराशि।	जमा करा दिया गया है। चालान की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दी गई है। अतः उक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें।	चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया गया है।	
	STAN **प्रस्तर संख्या 1:** विभिन्न मदों के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के अन्त में `53,02,507 की धनराशि अनुपयोगी/अवशेष पड़े रहने के सम्बंध में।	विभिन्न अनुदानों/मदों के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के अन्त में अवशेष धनराशि `53,02,507/- का वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 का आय-व्यय विवरण लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दिया गया है। अतः उक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें।	इकाई द्वारा विभिन्न अनुदानों/मदों के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के अन्त में अवशेष धनराशि `53,02,507/- का वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।	**STAN के प्रस्तर संख्या 01 को निस्तारित कर दिया गया हैं।**

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

<u>भाग – V</u>
<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री विनोद लाल	अधिशासी अधिकारी	16.08.14 से 20.07.17 तक
02.	श्रीमती कल्पना कठैत	अध्यक्षा	04.05.13 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/50 दिनांकित 28.12.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय